


130224 आज यह पत्रावली पार्थी द्वारा वाद पत्र से एक  
 प्राम पत्र पेश करने पर जेरी में ली गई। प्राम  
 पत्रपेश कर विदेडक किया गया कि पार्थीगण का  
 अजर्नीगण के साथ राजीनामा होने के कारण  
 वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहिए है अतः वाद  
 पत्र खारिज किए जाने का विदेडक किया गया।  
 वाद पत्र खारिज होने के कारण इस प्रामपत्र  
 का कोई अर्थचिंत्य नहीं होकर एक प्रामपत्र  
 को इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है।

निर्णय लिखना जाकर खुले न्यायालय में  
 सुनाया गया।

  
 (सचिव विश्वेश)  
 R.A.S.  
 उपखण्ड अधिकारी  
 षडसाना



R.T.I.  
 आर.टी.आई.

Not  
 made by  
 me

उपस्थित.